दिनांक: 22.05.2017

<u>एपीडा वित्तीय सहायता योजना की निरंतरता</u>

बारहवीं योजना हेतु एपीडा की कृषि निर्यात प्रचार प्लान योजना, 31 मार्च, 2017 तक वैध थी। एपीडा द्वारा 2017-2020 की अवधि हेतु भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग (डी.ओ.सी) को विचार और अनुमोदन के लिए ई.एफ.सी प्रालेख प्रस्तुत किया गया है।योजना के लंबित आगणन/अनुमोदन होने के कारण, 31 मार्च, 2017 के अतिरिक्त छः महीने की अवधि अर्थात् 30 सितंबर, 2017 तक बारहवीं प्लान योजना के संचालन हेतु एक अंतरिम विस्तार का अनुदान किया गया है।

यह निर्णय लिया गया है कि दो घटकों अर्थात् अवसंरचना विकास और परिवहन सहायता योजना की स्थिति में किसी भी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और आवंटित निधि को केवल संचित कार्य का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाएगा। हालांकि, सरकार द्वारा अन्य निर्देशों के आने तक बारहवीं योजना अवधि के आधार पर गुणवत्ता, एन.ई.आर, अनुसूचित जातियों और बाज़ार विकास घटकों हेतु नए प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

यह सभी प्रकार की संबंधित जानकारी के लिए है।

एस.एस.नैय्यर

महाप्रबंधक